घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006

महिला और बाल विकास मंत्रालय अधिसूचना क्र० सा० का० नि० 644 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2006*.—केन्द्रीय सरकार, **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006** है।

(2) ये अक्तूबर 2006 के छब्बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) अभिप्रेत है;

(ख) ''शिकायत'' से संरक्षण अधिकारी को किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई मौखिक या लिखित अभिकथन अभिप्रेत है;

(ग) ''परामर्शदाता'' से सेवा प्रदाता का कोई ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन परामर्श देने के लिए सक्षम हो;

(घ) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) ''धारा'' से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(च) उन शब्दों और पदों के, जो प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव.—(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकेंगे :

परंतु महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी।

(2) अधिनियम के अधीन संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति के पास सामाजिक सेक्टर में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होगा।

(3) संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम तीन वर्ष का अवधि होगी।

(4) राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसके कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिए आवश्यक कार्यालय सहायता उपलब्ध कराएगी।

4. संरक्षण अधिकारियों को सूचना.—(1) कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है वह इसके बारे

---

* भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3(i) में दिनांक 17-10-2006 को पृष्ठ 1-45 पर प्रकाशित।

में सूचना उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में देगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन संरक्षण अधिकारी को मौखिक सूचना देने की दशा में, वह उसे लेखबद्ध कराएगा/कराएगी और यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि उस पर ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और सूचना देने वाला लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं है तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का अभिलेख रखेगा।

(3) संरक्षण अधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित की गई सूचना की प्राप्ति तुरंत बिना खर्चे के सूचना देने वाले को देगा।

5. घरेलू हिंसा की रिपोर्ट.—(1) संरक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर प्ररूप-1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी प्रतियां स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर जहां ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, के पुलिस थाना के भार साधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को भेजेगा।

(2) किसी व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर, कोई सेवा प्रदाता प्ररूप-1 में घरेलू हिंसा रिपोर्ट अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले उस संरक्षण अधिकारी को, जहां ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, भेजेगा।

6. मजिस्ट्रेट को आवेदन.—(1) व्यथित व्यक्ति का प्रत्येक आवेदन धारा 12 के अधीन प्ररूप-2 या उसके यथासंभव निकटतम रूप में होगा।

(2) कोई व्यथित व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपने आवेदन पत्र को तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकेगी और उसे संबंद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगी।

(3) व्यथित व्यक्ति के अशिक्षित होने की दशा में, संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र को पढ़ेगा और उसकी अंतर्वस्तु को उसे समझाएगा।

(4) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन फाइल किए जाने वाला शपथ पत्र प्ररूप-3 में होगा।

(5) आवेदन धारा 12 के अधीन निपटाए जाएंगे और आदेशों का प्रवर्तन उसी रीति में होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन अधिकथित है।

7. मजिस्ट्रेट का एकपक्षीय आदेश को प्राप्त करने के लिए शपथ पत्र.—धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिए फाइल किया गया प्रत्येक शपथ पत्र प्ररूप-3 में होगा।

8. संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य.—(1) संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्त्तव्य होगा—

(i) व्यथित व्यक्ति को, अधिनियम के अधीन कोई शिकायत करने के लिए यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा व्यक्त करे, सहायता देना;

(ii) अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को प्ररूप-4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना जो अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में होगी;

(iii) किसी व्यक्ति को धारा 12 या धारा 23 की उपधारा (2) या अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन कोई आवेदन करने के लिए सहायता करना;

(iv) धारा 12 के अधीन कोई आवेदन देने पर प्ररूप-5 में व्यथित व्यक्ति के परामर्श से उस स्थिति में अंतर्वलित खतरों का निर्धारण करने के पश्चात्, ''सुरक्षा योजना'' तैयार करना जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को और घरेलू हिंसा से निवारित करने के लिए उपाय भी हैं; और

(v) व्यथित व्यक्ति को राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराना;

(vi) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को किसी चिकित्सा सुविधा पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सहायता करना जिसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए परिवहन उपलब्ध कराना भी है;

(vii) व्यथित व्यक्ति या किसी बालक को आश्रय के लिए परिवहन प्रदान करने के लिए सहायता करना;

(viii) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं को सूचना देना कि अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में उनकी सेवाओं की अपेक्षा की जा सकेगी और अधिनियम के अधीन धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 15 के अधीन कल्याण विशेषज्ञों को कार्यवाहियों में परामर्शियों के रूप में उसके सदस्यों को नियुक्त करने के लिए सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित करना;

(ix) परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनों की संवीक्षा करना और मजिस्ट्रेट को उपलब्ध परामर्शियों की सूची भेजना;

(x) उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची को तीन वर्ष में एक बार नए आवेदन मंगाकर पुनरीक्षित करना और उस आधार पर परामर्शदाताओं की पुनरीक्षित सूची को संबंद्ध मजिस्ट्रेट को भेजना;

(xi) धारा 9, धारा 12, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 23 या अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन अग्रेषित रिपोर्ट और दस्तावेजों के अभिलेख या प्रतियां रखना;

(xii) व्यथित व्यक्ति और बालकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यथित व्यक्ति का घरेलू हिंसा की घटना की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है या दबाव नहीं डाला जा रहा है, सभी संभव सहायता उपलब्ध कराना;

(xiii) व्यथित व्यक्ति या व्यक्तियों, पुलिस और सेवा प्रदाता के बीच अधिनियम या इन नियमों के अधीन उपबंधित रीति से संपर्क रखना;

(xiv) अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा सुविधा और आश्रयगृहों के उचित अभिलेख रखना;

(2) संरक्षण अधिकारी को धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ज) के अधीन, समानुदेशित दायित्वों और कृत्यों के अतिरिक्त प्रत्येक संरक्षण अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा—

(क) घरेलू हिंसा के व्यथित व्यक्तियों को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में संरक्षण देना;

(ख) व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा की आवृत्तियों को रोकने के लिए, अधिनियम और इन नियमों के उपपबन्धों के अनुसरण में सभी युक्तियुक्त उपाय करना।

9. आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्रवाई.—यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई-मेल या किसी टेलीफोन काल या उसी रूप में व्यथित व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति से विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके पास यह विश्वास किए जाने का कारण है कि

घरेलू हिंसा का कृत्य हो रहा है या होने की संभावना है और ऐसी किसी आपातकालीन स्थिति में यथास्थिति संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता मांगेगा, जो यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता के साथ घटना स्थल पर जाएगी और घरेलू दुर्घटना रिपोर्ट को अभिलिखित करेगा तथा अधिनियम के अधीन समुचित आदेश प्राप्त करने के लिए उसे अविलंब मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

10. संरक्षण अधिकारी के कतिपय अन्य कर्तव्य.—(1) यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निदेश दिया जाए, तो संरक्षण अधिकारी—

(क) साझी गृहस्थी में निवास के परिसर में निरीक्षण करेगा और आरंभिक जांच करेगा यदि न्यायालय अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे गृह निरीक्षण के लिए आदेश पारित करेगा;

(ख) समुचित जांच करने के पश्चात्, उपलब्धियों, आस्तियों, बैंक खातों या न्यायालय द्वारा निदेशित किए गए किन्हीं अन्य दस्तावेजों की रिपोर्ट फाइल करेगा;

(ग) व्यथित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा बहाल कराएगा जिसके अंतर्गत उपहार और आभूषण और साझी गृहस्थी का सामान भी है;

(घ) व्यथित व्यक्ति को बालकों की अभिरक्षा पुनः प्राप्त कराने में सहायता देगा और उनके अधीक्षण के अधीन उनके निरीक्षण के अधिकार को, जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, सुनिश्चित करेगा;

(ङ) मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित रीति में अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में आदेशों जिसमें धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 23 के अधीन आदेश भी हैं, को ऐसी रीति में जो न्यायालय द्वारा निदेशित किए जाएं, प्रवर्तन कराने में न्यायालय की सहायता करेगा;

(च) यदि अभिकथित घरेलू हिंसा में अंतर्वलित किसी अस्त्र के अधिहरण में, यदि अपेक्षित हो पुलिस की सहायता लेगा।

(2) संरक्षण अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी अनुपालन करेगा, जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम और इन नियमों को समय-समय पर प्रभावी करने के लिए समानुदेशित किए जाएं।

(3) मजिस्ट्रेट, किसी मामले में प्रभावी अनुतोष के लिए आदेशों के अतिरिक्त, मामलों के अच्छे प्रबंधन के लिए अपनी अधिकारिता के संरक्षण अधिकारियों को साधारण व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा और संरक्षण अधिकारी उनको पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

11. सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण.—(1) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1880 (1880 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वयंसेवी संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या कोई कंपनी जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों की किसी विधिमान्य साधनों जिसके अंतर्गत विधिक सहायता चिकित्सा, वित्तीय या अन्य सहायताएं हैं और अधिनियम के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक हों, द्वारा रक्षा करने के उद्देश्यों के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी हैं, राज्य सरकार को प्ररूप-6 में सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे और आवेदक की उपयुक्तता के बारे में स्वयं का समाधान होने के पश्चात्, उसे सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर करेगी और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगी :

परंतु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक संगम या कंपनी जो धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहती है निम्नलिखित पात्रता मानदंड रखेगी, अर्थात् :—

(क) वह अधिनियम और इन नियमों के अधीन सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले से इस अधिनियम के अधीन प्रस्थापित की जाने वाली प्रकार की सेवाएं कर रहा हों :

(ख) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदकों के मामले में, जो किन्हीं चिकित्सा सुविधा या मनोविज्ञान सलाह केन्द्र या कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्था चला रहे हैं, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक ऐसी सुविधा या संस्था को चलाने के लिए अपने-अपने वृत्तिकों या संस्थाओं को विनियमित करने वाले अपने-अपने विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हों;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदक की दशा में, जो किसी आश्रयगृह को चला रहे हैं, राज्य सरकार, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकरण या अभिकरण द्वारा आश्रयगृह का निरीक्षण कराएगी, रिपोर्ट तैयार कराएगी और उसके निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होंगे—

(i) आश्रय चाहने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने के लिए ऐसे आश्रयगृहों की अधिकतम क्षमता;

(ii) महिलाओं के लिए आश्रयगृहों को चलाने के लिए सुरक्षित स्थान है और आश्रय गृहों के लिए स्थान में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है;

(iii) आश्रयगृहों के लिए कोई चालू टेलीफोन कनेक्शन या वासियों के उपयोग के लिए अन्य संसूचना माध्यम हैं।

(3) राज्य सरकार, संबद्ध संरक्षण अधिकारियों को विभिन्न स्थानों में सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और ऐसी सूची को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएगी या उसे वैब साइट पर रखेगी।

(4) संरक्षण अधिकारी, सम्यक् रूप से अनुक्रमांकित रजिस्टरों द्वारा समुचित अभिलेखों के रजिस्टर रखेगा जिसमें सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे भी होंगे।

12. सूचना की तामील का माध्यम.—(1) अधिनियम के अधीन संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में उपसंजात होने के लिए सूचना में घरेलू हिंसा करने वाले अभिकथित व्यक्ति का नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति और ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो संबद्ध व्यक्ति की पहचान को सुकर बना सकें।

(2) सूचना की तामील निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों की बाबत सूचनाओं की तामील संरक्षण अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो संरक्षण अधिकारी द्वारा उसकी ओर से ऐसी सूचना की तामील करने के लिए निदेशित किया जाए, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या व्यथित व्यक्ति द्वारा भारत में प्रत्यर्थी के उस पते पर जहां प्रत्यर्थी मामूली रूप से निवास कर रहा है या जहां प्रत्यर्थी अभिकथित रूप से लाभ के लिए नियोजित है, कराई जाएगी;

(ख) सूचना किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी जो उस समय ऐसे स्थान का भारसाधक है और उस दशा में जहां ऐसा परिदान संभव न हो तो उसे परिसर के सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया जाएगा;

(ग) धारा 13 या अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन उस सूचना की तामील के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 या 5) के आदेश 5 के उपबंध तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय-6 के अधीन उपबंध जहां तक व्यवहार्य हो, अपनाए जा सकेंगे;

(घ) सूचनाओं की ऐसी तामील के लिए पारित किसी आदेश का वही प्रभाव होगा जो क्रमश: सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-6 में पारित आदेशों को होता, धारा 13 या अधिनियम की किसी अन्य उपबंध के अधीन ऐसी तामील के लिए कोई आदेश करने के लिए प्रभावकारी पाई गई प्रक्रिया पर निर्भर रहते हुए और आदेश 5 या अध्याय-6 के अधीन विहित प्रक्रिया के अतिरिक्त न्यायालय, अधिनियम में उपबंधित समय सीमा का पालन करने के लिए कार्यवाहियों को शीघ्रता से चलाने की दृष्टि से अन्य आवश्यक उपायों के लिए भी निदेश दे सकेगा।

(3) प्रत्यर्थी के उपस्थित होने की नियत तारीख को किसी कथन पर या अधिनियम के अधीन सूचना की तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की इस रिपोर्ट पर, कि तामील कर दी गई है, शिकायतकर्ता या प्रत्यर्थी या दोनों को सुनने के पश्चात् अंतरिम राहत के लिए लंबित किसी आवेदन पर न्यायालय द्वारा समुचित आदेश पारित किया जाएगा।

(4) जिन प्रत्यर्थी को साक्षी गृहस्थी में प्रवेश करने से अवरुद्ध करने का संरक्षण आदेश पारित किया जाता है या प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाता है कि वह याची से दूर रहे या उससे संपर्क न करे, तब व्यथित व्यक्ति की किसी भी कार्रवाई को, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति द्वारा आमंत्रण भी है, न्यायालय आदेश द्वारा प्रत्यर्थी पर अधिरोपित अवरोध को हटाना नहीं समझा जाएगा जब तक कि ऐसा संरक्षण आदेश धारा 25 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में सम्यक रूप से उपांतरित नहीं कर दिया जाता।

13. परामर्शदाताओं की नियुक्ति.—(1) संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, व्यथित व्यक्ति को सूचना के अधीन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(2) निम्नलिखित व्यक्ति किसी कार्यवाही में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात् :—

(i) कोई व्यक्ति जो विवाद की विषय-वस्तु में हितबद्ध है या उससे संबद्ध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश का अभित्यजन न कर दिया गया हो।

(ii) कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबद्ध कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात हुआ हो।

(3) परामर्शदाता जहां तक संभव हो महिला होगी।

14. परामर्शदाताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.—(1) परामर्शदाता, न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे।

(3) परामर्श के लिए बुलाए गए कारकों के अंतर्गत एक कारक यह भी होगा कि प्रत्यर्थी यह वचनबंध देगा कि वह ऐसी घरेलू हिंसा से जो परिवादी द्वारा शिकायत की गई है, दूर रहेगा और समुचित मामले में यह वचनबंध देगा कि वह मिलने का प्रयास नहीं करेगा या परामर्शदाता के समक्ष

परामर्श कार्यवाहियों या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के आदेश से विधि या आदेश से अनुज्ञेय के सिवाय संसूचना की किसी रीति में पत्र या टेलीफोन, इलेक्ट्रानिक मेल या किसी अन्य माध्यम के द्वारा हो, संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

(4) परामर्शदाता, परामर्श कार्यवाहियों को यह ध्यान में रखते हुए संचालित करेगा कि परामर्श यह आश्वासन प्राप्त करने की प्रकृति का हो कि घरेलू हिंसा की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी।

(5) प्रत्यर्थी उस तथ्य के परामर्श में घरेलू हिंसा के अभिकथित कृत्य के लिए किसी प्रति न्यायोचित्य के लिए अभिवचन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा के कृत्य के लिए कोई न्यायोचित्य परामर्श कार्यवाहियां, जो कार्यवाहियां प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्यर्थी की जानकारी में होनी चाहिएं, के भाग को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(6) प्रत्यर्थी को परामर्शदाता यह वचनबंध देगा कि वह व्यथित व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में ऐसी घरेलू हिंसा करने से अपने को दूर रखेगा और उपयुक्त मामलों में यह वचन देगा कि वह परामर्शदाता के समक्ष परामर्श कार्यवाहियों के सिवाय पत्र या टेलीफोन द्वारा ऐसी किसी रीति में संसूचना ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से मिलने का प्रयास नहीं करेगा।

(7) यदि व्यथित व्यक्ति इस प्रकार की इच्छा करे, तो परामर्शदाता, मामले के समाधान के लिए प्रयास करेगा।

(8) परामर्शदाता के प्रयासों की सीमित परिधि में व्यथित व्यक्ति की शिकायत को समझने की है और उसकी शिकायत पर उत्तम संभावित समाधान और प्रयास ऐसे समाधानों के लिए निवारणों और उपायों को ध्यान में रखते हुए करेगा।

(9) परामर्शदाता, व्यथित व्यक्ति की शिकायत के समाधान के लिए सुझाए गए उपायों द्वारा समाधान के लिए निबंधनों के पुन: निश्चित करने और परामर्श के लिए पक्षकारों द्वारा सुझाए गए उपायों या उपचारों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित हो समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।

(10) परामर्शदाता भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों द्वारा आबद्ध नहीं होगा और वह उसका कार्य निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों से मार्ग दर्शित होगा और उसका उद्देश्य व्यथित व्यक्ति के समाधान प्रद रूप में घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा और परामर्शदाता इस निमित्त ऐसे प्रयास करते समय व्यथित व्यक्ति की इच्छाओं और संवेदनाओं का सम्यक ध्यान रखेगा।

(11) परामर्शदाता, मजिस्ट्रेट को समुचित कार्यवाही के लिए यथासंभव शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा।

(12) परामर्शदाता विवाद के समाधान पर पहुंचते समय वह समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करेगा और उसे पक्षकारों द्वारा पृष्ठांकित कराएगा।

(13) न्यायालय, समाधान की प्रभावकारिता के बारे में समाधान हो जाने पर और पक्षकारों से आरंभिक पूछताछ करने के पश्चात् तथा ऐसे समाधान के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी को घरेलू हिंसा के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोकना, प्रत्यर्थी द्वारा किए जाने की स्वीकार्यता, शर्तों के साथ या बिना निबंधनों को स्वीकार करने के लिए भी है।

(14) न्यायालय का परामर्श की रिपोर्ट से समाधान हो जाने पर समझौते के निबंधनों को अभिलिखित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा या व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर पक्षकारों की सहमति से, समझौते के निबंधनों को उपांतरित करते हुए कोई आदेश पारित करेगा।

(15) उन दशाओं में जहां परामर्श कार्यवाहियों पर किसी समझौते के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते वहां, परामर्शदाता ऐसी कार्यवाहियों के असफल होने की रिपोर्ट न्यायालय को देगा और न्यायालय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मामले में कार्यवाही करेगा।

(16) मामले में कार्यवाहियों के अभिलेख सारवान अभिलेख नहीं समझे जाएंगे, जिनके आधार पर कोई संदर्भ अर्थ निकाला जा सके या उसके आधार पर केवल आदेश पारित किया जा सकेगा।

(17) न्यायालय, धारा 25 के अधीन केवल यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे कोई आदेश के लिए आवेदन बल, कपट या प्रपीड़न या किसी अन्य कारण के द्वारा निष्फल नहीं होगा, आदेश पारित करेगा और उस आदेश के ऐसे समाधान के लिए कारण अभिलिखित किए जाएंगे जिसके अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया कोई वचनबंध या प्रतिभूति भी हो सकेगी।

15. संरक्षण आदेशों का भंग होना.—(1) कोई व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग की रिपोर्ट कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक रिपोर्ट सूचना देने वाले द्वारा लिखित में होगी और व्यथित द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित होगी।

(3) संरक्षण अधिकारी ऐसी शिकायत की एक प्रति ऐसे संरक्षण आदेश के साथ भेजेगा जिसके भंग होने का अभिकथन किया गया है, समुचित आदेशों के लिए संबद्ध मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(4) व्यथित व्यक्ति यदि वह ऐसी वांछा करती है तो, संरक्षण आदेश या अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग की शिकायत सीधे, यदि वह ऐसा चयन करे, मजिस्ट्रेट या पुलिस को कर सकेगी।

(5) यदि संरक्षण आदेश के भंग किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, व्यथित व्यक्ति सहायता चाहती है तो, संरक्षण अधिकारी तुरंत स्थानीय पुलिस थाने से उसको बचाने के लिए पुलिस मांग सकेगा और समुचित मामलों में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट दर्ज कराने में व्यथित व्यक्ति की सहायता कर सकेगा।

(6) जब धारा 31 या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन अपराधों के संबंध में या किसी अन्य अपराध के संबंध में जो संक्षिप्त विचारणीय नहीं है, आरोप विरचित किए जाते हैं तथा न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित रीति में विचारण किए जाने वाले ऐसे अपराधों के लिए कार्यवाहियों को पृथक् कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित रीति में विचारण किए जाने वाले ऐसे अपराधों के लिए कार्यवाहियों को पृथक् कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 21 के उपबंधों के अनुसरण में, धारा 31 के अधीन संरक्षण आदेशों को भंग करने के अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा।

(7) प्रत्यर्थी द्वारा इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के आदेशों के प्रत्यावर्तन में कोई अवरोध या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के लिए तात्पर्यित है, अधिनियम के अधीन आने वाले संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग होना समझा जाएगा।

(8) किसी संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का कोई भंग होने पर तत्काल स्थानीय अधिकारिता रखने वाले स्थानीय पुलिस थाने को तत्काल रिपोर्ट की जाएगी और उस पर धारा 31 और धारा 32 के अधीन यथा उपबंधित संज्ञेय अपराध के रूप में कार्रवाई की जाएगी।

(9) जब अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय न्यायालय आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति के संरक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तें लगा सकेगा और न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए जिसमें निम्नलिखित सम्मलित होंगे—

(क) अभियुक्त को घरेलू हिंसा के किसी कृत्य कारित करने की धमकी देने या करने से अवरुद्ध करने का कोई आदेश;

(ख) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति को परेशान करने, टेलीफोन करने या कोई संपर्क करने से रोकने का कोई आदेश;

(ग) अभियुक्त को व्यथित व्यक्ति के निवास स्थान या किसी अन्य स्थान पर, जहां उसके जाने की संभावना हो, खाली करने या उससे दूर रहने का कोई आदेश;

(घ) कोई आग्नेय अस्त्र या कोई अन्य खतरनाक हथियार के कब्जे में रखने या उपयोग करने से प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश;

(ङ) एल्कोहल या कोई अन्य मादक ओषधि के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने का कोई आदेश;

(च) कोई अन्य आदेश जो व्यथित व्यक्ति के संरक्षण, सुरक्षा और पर्याप्त अनुतोष के लिए अपेक्षित हो।

16. व्यथित व्यक्ति को आश्रय.—(1) व्यथित व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति को धारा 6 के अधीन लिखित में अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 6 के अधीन किया जा रहा है।

(2) जब कोई संरक्षण अधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुरोध करता है तो धारा 9 के अधीन या धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगा :

परंतु आश्रय गृह किसी व्यथित व्यक्ति को उसके आश्रयगृह में आश्रय के लिए आवेदन किए जाने से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट के दर्ज न होने पर, अधिनियम के अधीन आश्रय के लिए मना नहीं करेगा।

(3) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करें तो आश्रयगृह व्यथित व्यक्ति की पहचान आश्रयगृह में प्रकट नहीं करेगा या उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, संसूचित नहीं करेगा।

17. व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा.—(1) व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा के भारसाधक व्यक्ति को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा, जिसमें यह स्पष्ट कथन करेगा कि आवेदन धारा 7 के अधीन किया गया है।

(2) जब संरक्षण अधिकारी ऐसा अनुरोध करता है तब उसके साथ घरेलू हिंसा रिपोर्ट की एक प्रति भी होगी :

परन्तु चिकित्सा सुविधा प्रदाता, अधिनियम के अधीन किसी व्यथित व्यक्ति को उसके द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन किए जाने से पहले, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराए जाने पर, चिकित्सा सहायता या परीक्षण के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए मना नहीं करेगा।

(3) यदि घरेलू हिंसा रिपोर्ट नहीं की गई है तो चिकित्सा सुविधा का भारसाधक व्यक्ति इसे प्ररूप 1 में भरेगा और उसे स्थानीय संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।

(4) चिकित्सा सुविधा प्रदाता, व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति खर्च के बिना उपलब्ध कराएगा।

———

प्ररूप 1

[नियम 5 (1) और (2) तथा नियम 17 (3) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 9 (ख) और धारा 37 (2) (ग) के अधीन घरेलू घटना की रिपोर्ट

1. परिवादी/व्यथित व्यक्ति के ब्यौरे :
   (1) परिवादी/व्यथित व्यक्ति का नाम :
   (2) आयु :
   (3) साझी गृहस्थी का पता :
   (4) वर्तमान पता :
   (5) दूरभाष नं० यदि कोई हो :
2. प्रत्यर्थियों के ब्यौरे :

क्रम सं०	नाम	व्यथित व्यक्ति के साथ नातेदारी	पता	दूरभाष नं०, यदि कोई हो

3. व्यथित व्यक्ति की सन्तानों के, ब्यौरे यदि कोई हों
   (क) सन्तानों की संख्या :
   (ख) सन्तानों के ब्यौरे :

नाम	आयु	लिंग	वर्तमान में किसके साथ निवास कर रहे हैं

4. घरेलू हिंसा की घटनाएं :

क्रम सं०	हिंसा की तारीख, स्थान और समय	यह व्यक्ति जिसने घरेलू हिंसा कारित की	घटना का प्रकार	टिप्पणी
			शारीरिक हिंसा	
			किस प्रकार की उपहति कारित की गई है कृपया विनिर्दिष्ट करें।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(i) लैंगिक हिंसा कृपया लागू होने वाले स्तम्भ के सामने [√] चिन्हित करें	
			☐ बल पूर्वक मैथुन ☐ अश्लील साहित्य या अन्य अश्लील सामग्री देखने के लिए मजबूर करना ☐ आपका अन्य व्यक्तियों के मनोरंजन के लिए उपयोग करना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			☐ लैंगिक प्रकृति का, दुर्व्यवहार, अपमानजनक, तिरस्कारपूर्ण या आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई अन्य कार्य करना (कृपया नीचे दिए गए खाली स्थान में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	
(ii) मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार				
			☐ चरित्र या आचरण आदि पर अभियोग/कलंक लगाना ☐ दहेज आदि न लाने हेतु अपमान करना ☐ पुरुष सन्तान न होने के लिए अपमान करना ☐ कोई सन्तान न होने के लिए अपमान करना ☐ अप्रतिष्ठित, अपमानजनक या क्षतिकारक टिप्पणियाँ/कथन करना ☐ उपहास करना ☐ निन्दा करना ☐ आपको विद्यालय, महा-विद्यालय या किसी अन्य शैक्षिक स्थान में न जाने पर बल देना। ☐ आपको नौकरी करने से रोकना ☐ घर के बाहर जाने से रोकना ☐ किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने से निवारित करना ☐ अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने पर बल देना ☐ अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से निवारित करना ☐ आपको उसकी/उनकी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने पर बल देना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			☐ कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार करना (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	
			(iii) आर्थिक बल प्रयोग	
			☐ आपको या आपकी सन्तानों को भरणपोषण के लिए धन न देना ☐ आपको या आपकी सन्तानों को खाना, कपड़े दवाईयाँ आदि उपलब्ध करवाना ☐ घर के बाहर रहने के लिए मजबूर करना ☐ आपको घर के किसी भाग में घुसने या उसका प्रयोग करने से रोका जाना ☐ आपको आपकी नौकरी करने से निवारित किया जा रहा है या उसमें बाधा डाली जा रही है ☐ नौकरी करने की अनुज्ञा न देना ☐ भाड़े पर ली गई वास-सुविधा की दशा में भाड़ा न देना। ☐ कपड़ों या साधारण घर गृहस्थी के उपयोग की वस्तुओं के उपयोग की अनुज्ञा न देना। ☐ आपको सूचित किए बिना और आपकी सहमति के बिना स्त्रीधन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेच देना या बन्धक रख देना। ☐ आपका वेतन, आय या मजदूरी आदि बलपूर्वक ले लेना। ☐ स्त्रीधन का व्ययन करना। ☐ बिजली आदि जैसे अन्य बिलों का भुगतान न करना। ☐ कोई अन्य आर्थिक बल प्रयोग। (कृपया नीचे दिए गए स्थान में विनिर्दिष्ट करें)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(iv) दहेज सम्बन्धी उत्पीड़न				
			☐ दहेज के लिए की गई मांग, कृपया विनिर्दिष्ट करें : ☐ दहेज से सम्बन्धित कोई अन्य ब्यौरा, कृपया विनिर्दिष्ट करें। ☐ क्या दहेज की मदें, स्त्रीधन आदि के ब्यौरे प्ररूप के साथ संलग्न हैं ☐ हाँ ☐ नहीं	
(v) आपके या आपकी सन्तानों के विरुद्ध घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना				

(परिवादी/व्यथित व्यक्ति के
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान)

5. संलग्न दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का नाम	तारीख	कोई अन्य ब्यौरा
चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र		
चिकित्सक प्रमाणपत्र या कोई अन्य नुस्खा		
स्त्रीधन की सूची		
कोई अन्य दस्तावेज		

6. यह आदेश, जिसकी घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन आपको आवश्यकता है

क्रम सं०	आदेश	हाँ/नहीं	कोई अन्य
(1)	धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश		
(2)	धारा 19 के अधीन निवास आदेश		
(3)	धारा 20 के अधीन भरण पोषण का आदेश		
(4)	धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश		
(5)	धारा 22 के अधीन प्रतिकर का आदेश		
(6)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)		

7. ऐसी सहायता, जिसकी आपको आवश्यकता हो

क्रम सं०	उपलभ्य सहायता	हाँ/नहीं	सहायता की प्रकृति
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	परामर्शदाता		
(2)	पुलिस सहायता		
(3)	दाण्डिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने के लिए सहायता		
(4)	आश्रय गृह		
(5)	चिकित्सा सुविधाएँ		
(6)	विधिक सहायता		

8. **किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण में सहायता करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए अनुदेश :**

जहाँ कहीं इस प्ररूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना से भारतीय दण्ड संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन किया गया कोई अपराध प्रकट होता है वहाँ पुलिस अधिकारी,—

(क) व्यथित व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करके दाण्डिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर सकता है;

(ख) यदि व्यथित व्यक्ति दाण्डिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करना नहीं चाहती है तो घरेलू हिंसा रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सूचना के अनुसार इस टिप्पणी के साथ दैनिक डायरी प्रविष्टि करेगा कि व्यथित, अभियुक्त के साथ घनिष्ठ प्रकृति के सम्बन्ध होने के कारण घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण के लिए सिविल उपाय जारी रखना चाहती है और उसने यह अनुरोध किया है कि उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मामले को, किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकरण के पूर्व समुचित जाँच के लिए लम्बित रखा जाए।

(ग) यदि व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी शारीरिक उपहति या पीड़ा की सूचना दी गई है उसे तुरन्त चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय जाँच की जाएगी।

स्थान :
तारीख :

(अभियोजन अधिकारी/सेवा प्रदाता के प्रति हस्ताक्षर)
नाम :
पता :
(मुद्रा)

निम्नलिखित को प्रति अग्रेषित की गई :—

1. स्थानीय पुलिस थाना
2. सेवा प्रदाता/अभियोजन अधिकारी
3. व्यथित व्यक्ति
4. मजिस्ट्रेट

———

प्ररूप 2

[नियम 6 (1) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को आवेदन

सेवा में,

मजिस्ट्रेट न्यायालय

.....

.....

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा..... के अधीन आवेदन)

यह दर्शित किया जाता है

1. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा.....के अधीन घरेलू घटना रिपोर्ट की एक प्रति के साथ आवेदन निम्नलिखित द्वारा फाइल किया जा रहा है :—

   (क) व्यथित व्यक्ति ☐

   (ख) संरक्षण अधिकारी ☐

   (ग) व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति ☐

   (जो लागू हो उसे चिन्हित करें)

2. यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय परिवाद/घरेलू घटना रिपोर्ट का संज्ञान ले और ऐसे सभी या कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझा जाए।

   (क) धारा 18 के अधीन संरक्षण आदेश पारित करे और/या

   (ख) धारा 19 के अधीन निवास आदेश पारित करे और/या

   (ग) धारा 20 के धनीय अनुतोष अनुरोध संदाय करने का प्रत्यर्थी को निदेश दे और/या

   (घ) अधिनियम की धारा 21 के अधीन आदेश पारित करे और/या

   (ङ) धारा 22 के अधीन प्रतिकर या नुकसानी प्रदत्त करने हेतु प्रत्यर्थी को निदेश दे और/या

   (च) ऐसे कोई अंतरिम आदेश पारित करे जो न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझे;

   (छ) कोई ऐसा आदेश पारित करे जो मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाए।

3. अपेक्षित आदेश :

   (i) धारा 18 के अधीन निम्नलिखित संरक्षण आदेश

   ❑ आवेदन के स्तम्भ 4(क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ङ)/(च)/(छ) के निबन्धनानुसार वर्णित किसी कार्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रत्यर्थी के विरुद्ध व्यादेश प्रदान करके घरेलू हिंसा के कार्यों को प्रतिषिद्ध करना

- ❑ प्रत्यर्थी को विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यस्थल पर प्रवेश करने से प्रतिषिद्ध करना
- ❑ आपको आपकी नौकरी के स्थान पर जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना
- ❑ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) के आपकी सन्तानों के विद्यालय/महाविद्यालय, किसी अन्य स्थान पर प्रेवश करने से प्रतिषिद्ध करना
- ❑ आपको आपके विद्यालय जाने से रोकने को प्रतिषिद्ध करना
- ❑ प्रत्यर्थी को आपके साथ किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार करने से प्रतिषिद्ध करना
- ❑ प्रत्यर्थी द्वारा आस्तियों को अन्य संक्रामण को प्रतिषिद्ध करना
- ❑ प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्त बैंक लाकर/खातों के प्रचालन को प्रतिषिद्ध करना और व्यथित व्यक्ति को उसके प्रचालन की अनुज्ञा देना
- ❑ प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के आश्रितों/सम्बन्धियों/किसी अन्य व्यक्ति से, उनके विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए, दूर रहने का निदेश देना।
- ❑ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(ii) धारा 19 के अधीन निम्नलिखित निवास आदेश

- ❑ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,
- ❑ मुझे साझी गृहस्थी से बेदखल करने या बाहर निकालने से रोकने का आदेश
- ❑ साझी गृहस्थी के उस भाग में, जिसमें मैं निवास करती हूँ प्रवेश करने का आदेश
- ❑ साझी गृहस्थी के अन्य संक्रामण/व्ययन/विल्लंगम को रोकने का आदेश
- ❑ साझी गृहस्थी में उसके अधिकारों का त्यजन
- ❑ मेरे निजी चीजबस्त तक पहुँच जारी रखने का हकदार बनाने का आदेश
- ❑ प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) को,
  - उसे साझी गृहस्थी से हटाने
  - उसी स्तर की वैकल्पिक वास सुविधा उपलब्ध करवाने या उसके लिए किराए का संदाय करने का निदेश देते हुए कोई आदेश
- ❑ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iii) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

- ❑ उपार्जनों की हानि की बाबत दावा की गई रकम
- ❑ चिकित्सीय खर्चों की बाबत दावा की गई रकम
- ❑ व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी सम्पत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि की बाबत दावा की गई रकम
- ❑ खण्ड 10 (घ) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य हानि या शारीरिक या मानसिक उपहति दावा की गई रकम
- ❑ कुल दावा की गई रकम
- ❑ कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें

(iv) धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष

❑ प्रत्यर्थी को धनीय अनुतोष के रूप में निम्नलिखित व्ययों का संदाय करने का निदेश देना :

❑ खाद्य, कपड़ा, चिकित्सा और अन्य आधारभूत आवश्यकताएँ

प्रतिमास [ ] रुपए

❑ विद्यालय की फीस और उससे सम्बन्धित अन्य खर्च प्रतिमास

प्रतिमास [ ] रुपए

❑ गृहस्थी के खर्चे प्रतिमास [ ] रुपए

❑ कोई अन्य व्यय प्रतिमास [ ] रुपए

कुल प्रतिमास [ ] रुपए

❑ कोई अन्य आदेश कृपया विनिर्दिष्ट करें [ ]

(v) धारा 21 के अधीन अभिरक्षा आदेश

प्रत्यर्थी को सन्तान या सन्तानों की अभिरक्षा—

[ ] व्यथित व्यक्ति को,

[ ] उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति का ब्यौरा को,

सौंपने का निदेश देना

(vi) धारा 22 के अधीन प्रतिकर

(vii) कोई अन्य आदेश, कृपया विनिर्दिष्ट करें [ ]

4. पूर्व मुकदमेबाजी का, यदि कोई हो, ब्यौरा

(क) [ ] के न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा ..... के अधीन लम्बित है

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे [ ]

(ख) [ ] के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ..... के अधीन लम्बित है

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे [ ]

(ग) [ ] के न्यायालय में हिन्दू विवाह अधनियम, 1956 की धारा ..... में लम्बित है

.....का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे [ ]

(घ) [ ] के न्यायालय में हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 की धारा ..... के अधीन लम्बित है।

..... का निपटारा हो गया है, अनुतोष के ब्यौरे [ ]

(ङ) [ ] अधिनियम की धारा ..... के अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन

अन्तरिम भरण पोषण रु० [ ] प्रतिमास

स्वीकृत भरण पोषण रु० [ ] प्रतिमास

(च) क्या प्रत्यर्थी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था
एक सप्ताह से कम के लिए
एक मास से कम के लिए
एक मास से अधिक के लिए
कृपया अवधि विनिर्दिष्ट करें। [ ]

(छ) कोई अन्य आदेश [ ]

प्रार्थना :

अत: आदरपूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय इसमें दावा किए गए अनुतोष (अनुतोषों) स्वीकृत करें और कोई ऐसा आदेश/ऐसे आदेश पारित करे जो माननीय न्यायालय मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा से संरक्षित करने के लिए और न्याय हित में उपयुक्त और उचित समझे।

स्थान :
तारीख :

परिवादी/व्यथित व्यक्ति
मार्फत
काउंसेल

सत्यापन :

तारीख.....को..... (स्थान) पर यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त आवेदन के पैरा 1 से 12 की अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान में सत्य और सही हैं और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

संरक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
तारीख सहित

———

प्ररूप 3

[नियम 6 (4) और नियम 7 देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23 (2) के अधीन शपथपत्र

न्यायालय.....; एम एम .....

पुलिस थाना.....

..... के मामले में

सुश्री.....और अन्य ... परिवादी

बनाम

श्री.....और अन्य ... प्रत्यर्थी

शपथपत्र

मैं .....

पत्नी श्री .....

निवासी .....

पुत्री श्री.....

निवासी .....

वर्तमान में .....पर निवास कर रही हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ और शपथ पर यह घोषणा करती हूँ कि

1. मैं, अपने स्वयं और मेरी पुत्री/पुत्र के .....लिए फाइल किए गए संलग्न आवेदन में आवेदक हूँ।
2. मैं ..... की नैसर्गिक संरक्षक हूँ।
3. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुपरिचित होने के कारण में इस शपथपत्र में शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।
4. अभिसाक्षी.....पर प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों के साथ .....से ..... तक रही थी।
5. धारा (धाराओं).....के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए वर्तमान आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे द्वारा/मेरे अनुदेशों पर दर्ज किए गए हैं।
6. मुझे आवेदन की अन्तर्वस्तुएं अंग्रेजी/हिन्दी/किसी अन्य स्थानीय भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें) में पढ़कर सुना दी गई हैं और उन्हें स्पष्ट कर दिया है।
7. उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तुओं को इस शपथपत्र के भागरूप में पढ़ा जाए और संक्षिप्तता के लिए उनकी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।
8. आवेदक को प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) द्वारा घरेलू हिंसा के ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति की आशंका है जिसके विरुद्ध संलग्न आवेदन में अनुतोष चाहा गया है।
9. प्रत्यर्थी ने आवेदक को धमकी दी है कि .....
   .....
   .....
10. संलग्न आवेदन में मांगे गए अनुतोष अतिआवश्यक हैं क्योंकि यदि एक पक्षीय अन्तरिम आधार पर उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किए जाते हैं तो आवेदक को अत्याधिक वित्तीय कठिनाई का सामना करना होगा और उसे प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों)

द्वारा किए जा रहे उन घरेलू हिंसा के कार्यों की पुनरावृत्ति/उनके बढ़ने के खतरे में रहने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके बारे में द्वारा संलग्न आवेदन में शिकायत की गई है।

11. इसमें वर्णित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और इसमें से कोई तथ्य सामग्री छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

सत्यापन :

तारीख ..... मास .....20.... को ..... में सत्यापित किया गया।

उपर्युक्त शपथपत्र की अन्तर्वस्तुएं मेरे ज्ञान और विश्वास में सही हैं और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

———

प्ररूप 4

[नियम 8 (1) (ii) देखिए]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन व्यथित व्यक्तियों के अधिकारों के विषय में जानकारी

1. यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने घर में जिसके साथ उसी घर में आप रहती हैं आपको पीटा जाता है, धमकी दी जाती है या उत्पीड़ित की जाती हैं तो आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 आपको घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार देता है।

2. आप अधिनियम के अधीन संरक्षण और सहायता प्राप्त कर सकती हैं यदि आप जिस व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ उसी घर में निवास कर रही हैं/थीं, आपके विरुद्ध या आपकी देखरेख और अभिरक्षा में किसी बालक के विरुद्ध हिंसा के निम्नलिखित कृत्य करता है—

1. **शारीरिक हिंसा :**

   उदाहरणार्थ :

   (i) मार पीट करना,
   (ii) थप्पड़ मारना,
   (iii) ठोकर मारना,
   (iv) दाँत से काटना,
   (v) लात मारना,
   (vi) मुक्का मारना,
   (vii) धक्का देना,
   (viii) धकेलना,
   (ix) किसी अन्य रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना।

2. **लैंगिक हिंसा :**

   उदाहरणार्थ :

   (i) बलात् लैंगिक मैथुन;
   (ii) आपको अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों या सामग्री को देखने के लिए मजबूर करता है;
   (iii) आपसे दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य कार्य अन्यथा जो आपकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का हो :
   (iv) बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार।

3. **मौखिक और भावनात्मक हिंसा :**

   उदाहरणार्थ :

   (i) अपमान;
   (ii) गालियाँ देना;
   (iii) आपके चरित्र और आचरण इत्यादि पर दोषारोपण;
   (iv) पुरुष सन्तान न होने के लिए अपमान करना;
   (v) दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान करना;
   (vi) आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को विद्यालय, महाविद्यालय या किसी अन्य शैक्षणिक संस्था, में जाने से रोकना;

(vii) आपको नौकरी करने से निवारित करना;

(viii) आप पर नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना;

(ix) आपको या आपकी अभिरक्षा में किसी बालक को घर से चले जाने से रोकना;

(x) घटनाओं के समान्यक्रम में आपको किसी व्यक्ति से मिलने से निवारित करना;

(xi) जब आप विवाह नहीं करना चाहती हों तो विवाह करने के लिए आप को मजबूर करना;

(xii) आपकी अपनी पसन्द के व्यक्ति से विवाह करने से आपको रोकना;

(xiii) अपनी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए मजबूर करना;

(xiv) आत्महत्या करने की धमकी देना;

(xv) कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार

4. आर्थिक हिंसा

उदाहरणार्थ :

(i) आपके या बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना;

(ii) आपके या बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध न कराना;

(iii) आपको आपका रोजगार चलाने से रोकना; या

(iv) आपको आपका रोजगार करने में विघ्न डालना

(v) आपको किसी रोजगार को करने को अनुज्ञात न करना

(vi) आपकी वेतन, पारिश्रामिक इत्यादि से आय को ले लेना, या

(vii) आपको अपना वेतन पारिश्रामिक उपभोग करने को अनुज्ञात न करना,

(viii) जिस घर में आप रह रहें हो उससे बाहर निकलने को मजबूर करना,

(ix) घर के किसी भाग में जाने या उपभोग करने से आपको रोकना,

(x) साधारण घरेलू उपयोग के कपड़ों, वस्तुओं या चीजों के इस्तेमाल से अनुज्ञात न करना,

(xi) यदि किराए के आवास में रह रहे हों तो किराए इत्यादि का संदाय नहीं करना।

3. यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा जिसके साथ एक ही घर में आप रह रही हैं/थीं, आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा की जाती है तो आप उस व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध निम्नलिखित सभी या कोई एक आदेश प्राप्त कर सकती हैं—

(क) धारा 18 के अधीन :

(i) आपके या आपके बालकों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का किसी और कार्य से रोकने के लिए;

(ii) आपके स्त्रीधन, आभूषण, कपड़ों इत्यादि का कब्जा देने के लिए;

(iii) न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खातों या लॉकरों का प्रचालन न करने के लिए।

(ख) धारा 19 के अधीन :

(i) आपको उस घर में शांतिपूर्वक निवास करने से नहीं रोकने के लिए जहाँ आप व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ रह रहे हैं;

(ii) आपके शान्तिपूर्ण निवास में व्यवधान या बाधा नहीं डालने के लिए;

(iii) जिस घर में आप रह रहे हैं उसका व्ययन न करने के लिए;

(iv) यदि आपका निवास किराए की संपत्ति में है तो किराए के संदाय का सुनिश्चय करने के लिए या ऐसे किसी समुचित वैकल्पिक निवास की व्यवस्था का प्रस्ताव करने के लिए जो आपको वैसी ही सुरक्षा और सुविधाएँ दे जो आपको पहले के निवास में थीं;

(v) न्यायालय के अनुज्ञा के बिना उस संपत्ति के अधिकार नहीं देने के लिए जिसमें आप रह रही हैं;

(vi) जिस घर/संपत्ति में आप रह रही हैं पर कोई ऋण नहीं लेने के लिए या संपत्ति को अन्तर्वलित करते हुए बंधक या कोई अन्य वित्तीय दायित्व सृजन न करने के लिए;

(vii) व्यक्ति/व्यक्तियों से आपकी सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए निम्नलिखित कोई आदेश या सभी आदेश करना।

(ग) साधारण आदेश :

(i) शिकायत/रिपोर्ट की गई घरेलू हिंसा को रोकने के लिए।

(घ) विशेष आदेशः

(i) आपके निवास या कार्य स्थल से स्वयं को हटाने/दूर रखने के लिए;

(ii) आपसे मिलने से किसी प्रयास को रोकने के लिए;

(iii) आपको फोन करने या आप से पत्र, ई-मेल इत्यादि के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के प्रयास को रोकने के लिए;

(iv) आप से विवाह के संबंध में बात करने से या उसकी/उनकी पसन्द के किसी विशेष व्यक्ति से विवाह के लिए मिलने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए;

(v) आपके बालक/बालकों के विद्यालय से या किसी अन्य स्थान से जहां आप और आपके बालक जाते हैं, से दूर रहने के लिए;

(vi) आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ के कब्जे के समर्पण के लिए;

(vii) किन्हीं आग्नेयस्त्रों, या किसी अन्य खतरनाक आयुध या पदार्थ को अर्जित नहीं करने या वैसी ही किसी वस्तु का कब्जा न रखने के लिए;

(viii) एल्कोहाल या उसके समान प्रभाव वाली ऐसी ओषधियों का सेवन नहीं करना जिनसे पूर्व में घरेलू हिंसा हुई हो;

(ix) आपकी या आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित कोई अन्य उपाय करने के लिए।

(ङ) धारा 20 और धारा 22 के अधीन अंतरिम धनीय अनुतोष के लिए कोई आदेश जिसमें निम्नलिखित भी है :

(i) आपके या आपके बच्चों के भरण-पोषण करने के लिए;

(ii) चिकित्सीय व्यय सहित किसी शारीरिक क्षति के लिए प्रतिकर;

(iii) मानसिक प्रताड़ना और भावनात्मक कष्ट के लिए प्रतिकर;

(iv) जीविका की क्षति के लिए प्रतिकर;

(v) आपके कब्जे या नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति के विनाश, नुकसान, हटाना कारित करने के लिए प्रतिकर।

टिप्पण I.— जैसे ही आप घरेलू हिंसा की शिकायत करती हैं और किसी अनुतोष के लिए न्यायालय के समक्ष आवेदन करती हैं तो अन्तरिम आधार पर कोई अनुतोष प्रदान किया जा सकेगा।

II.— अधिनियम के अधीन प्ररूप 1 में की गई घरेलू हिंसा की कोई शिकायत ''घरेलू घटना रिपोर्ट'' के नाम से ज्ञात होगी।

4. यदि आप घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आपके निम्नलिखित अधिकार होंगे :

(i) धारा 5 के अधीन उन अधिकारों और अनुतोष के बारे में जानने में, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता, जो आप प्राप्त कर सकती हैं।

(ii) संरक्षण अधिकारी की सहायता और सेवा प्रदाता या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की आपकी शिकायत दर्ज करने सहायता करने और धारा 9 और धारा 10 के अधीन अनुतोष के लिए आवेदन करने में सहायता करना।

(iii) धारा 18 के अधीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और स्वयं के बालकों के लिए संरक्षण प्राप्त करना।

(iv) आपका विशिष्ट खतरों या असुरक्षाओं जिनका आप या आपके बालक सामना कर रहे हैं से संरक्षण के लिए उपाय और आदेश प्राप्त करने का अधिकार।

(v) धारा 10 के अधीन उस घर में रहने जहां आप घरेलू हिंसा का शिकार हुई हैं और उसी घर में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप में अवरोध करने और घर तथा उसमें अन्तर्विष्ट प्रसुविधाओं का शांतिपूर्वक उपभोग करने का आपके और आपके बच्चों का अधिकार।

(vi) धारा 18 के अधीन आपके स्त्री धन, आभूषण कपड़ों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं और अन्य घरेलू चीजों को वापस कब्जे में लेना।

(vii) धारा 6, धारा 7, धारा 9 और धारा 14 के अधीन चिकित्सीय सहायता, आश्रय, परामर्श और विधिक सहायता प्राप्त करना।

(viii) धारा 18 के अधीन आपके विरुद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति को आप से संपर्क करने या पत्र व्यवहार करने से रोकने।

(ix) धारा 22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी शारीरिक या मानसिक क्षति या किसी अन्य धनीय नुकसान के लिए प्रतिकर।

(x) अधिनियम की धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय को सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करना।

(xi) आपके द्वारा की गई शिकायत, आवेदनों किसी चिकित्सा या अन्य परीक्षण की रिपोर्ट जो आप या आपके बालक करवाते हैं, की प्रतियां प्राप्त करना।

(xii) घरेलू हिंसा के संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किसी कथन की प्रतियां लेना।

(xiii) किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना।

5. प्ररूप उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि सभी रजिस्ट्रीकृत सेवाप्रदाताओं के ब्यौरे, निम्नलिखित उपबंधित रीति और स्थान में दर्ज कर लिए गए हैं। क्षेत्र के सेवाप्रदताओं की सूची निम्नलिखित है।

संगठन का नाम	प्रदान की गई सेवा	संपर्क के ब्यौरे

यदि आवश्यक हो, सूची को एक पृथक पृष्ठ पर जारी रखें।

———

प्ररूप 5

[नियम 8(1) (iv) देखें]

सुरक्षा योजना

1. जब कोई संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य सेवा प्रदाता इस प्ररूप में ब्यौरे उपलब्ध कराने में किसी स्त्री की सहायता कर रहा हो, तो स्तंभ ग और घ में ब्यौरे, यथास्थिति, संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य सेवा प्रदाता द्वारा परिवादिनी के परामर्श से और उसकी सम्मति से भरे जाने हैं।
2. व्यथित व्यक्ति के सीधे न्यायालय पहुंचने के मामले में स्तंभ ग और स्तंभ घ में ब्यौरे स्वयं उपलब्ध करा सकेगा।
3. यदि व्यथित व्यक्ति स्तंभ ग और स्तंभ घ खाली छोड़ता है और सीधे न्यायालय पहुंचता है, तो उक्त स्तंभ में ब्यौरे न्यायालय को संरक्षण अधिकारी द्वारा परिवादिनी के परामर्श से और उसकी सम्मति से, उपलब्ध कराए जाएंगे।

	क	ख	ग	घ	ङ
क्र० सं०	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के संबंध में आशंकाएं	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
1.	प्रत्यर्थी द्वारा शारीरिक हिंसा करना	परिवादिनी का बोध कि उसे और उसके बच्चों को शारीरिक हिंसा दोहराए जाने का जोखिम है।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
2.	दुर्व्यवहार, अपमान या तिरस्कार अन्यथा आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई लैंगिक कृत्य।	(क) अवसाद। (ख) ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति का जोखिम। (ग) ऐसे कृत्य कारित करने के लिए प्रयत्नों का सामना करना।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य विनिर्दिष्ट करें।		
3.	गला घोंटने के प्रयत्न करना	(क) शारीरिक क्षति (ख) रुग्ण मानसिक स्वास्थ्य (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

	क	ख	ग	घ	ङ
4.	बालकों से मारपीट करना	(क) बालकों को क्षति (ख) बालकों पर उसका विपरीत मानसिक प्रभाव (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति का जोखिम (ख) बालक पर हिंसक व्यवहार/ वातावरण का विपरीत प्रभाव।		
5.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने की धमकी देना	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) सुरक्षा का भय (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) आत्महत्या करने का वास्तविक प्रयास (ख) पुनरावृत्ति (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
6.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न करना।	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) असुरक्षा, चिंता, अवसाद, मानसिक आघात। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) आत्महत्या के प्रयत्न की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
7.	परिवादिनी से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार जैसे अपमान करना, उपहास करना, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, असतीत्व के मिथ्या आरोप लगाना आदि।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) बालक/बालकों के लिए अनुपयुक्त वातावरण। (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
8.	व्यथित व्यक्ति/उसके बालकों/ माता-पिता/नातेदारों को अपहानि करने की मौखिक धमकी देना।	(क) लगातार भय में रहना। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करे।	(क) प्रत्यर्थी वर्णित धमकियों को निष्पादित कर सकता है। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

	क	ख	ग	घ	
9.	विद्यालय/महाविद्यालय/किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में उपस्थित न होने के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
10.	विवाह के लिए मजबूर करना जब वह विवाह न करना चाहती हो। पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने के लिए मजबूर करना। प्रत्यर्थी/ प्रत्यर्थियों की पसंद के व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) बलपूर्वक विवाह किए जाने का भय। (घ) कोई अन्य विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
11.	बालक/बालकों के व्यपहरण की धमकी देना	(क) लगातार भय में रहना। (ख) बालक/बालकों की सुरक्षा का भय। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) बालकों का व्यपहरण हो सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
12.	व्यथित व्यक्ति/बालकों/नातेदारों को वास्तविक अपहानि करना।	(क) और अपहानि के लगातार भय में रहना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
13.	पदार्थ (मादक द्रव्य/अल्कोहल) का दुरुपयोग करना	(क) पदार्थ दुरुपयोग के कारण प्रत्यर्थी द्वारा गाली-गलौज और हिंसक व्यवहार के लगातार भय में रहना। (ख) सामान्य जीवन जीने से वंचित होना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उपभोग करने के पश्चात् शारीरिक हिंसा। (ख) इसका उपयोग करने के पश्चात् अपमानजनक व्यवहार। (ग) रखरखाव/घरेलू व्ययों का संदाय न करना। (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

	क	ख	ग	घ	ङ
14.	आपराधिक व्यवहार का इतिहास।	(क) हिंसा का लगातार भय। (ख) प्रत्यर्थी द्वारा बदले का भय।	(क) प्रत्यर्थी विधि का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रखता हो और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेश की अवज्ञा की संभावना। (ख) प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति/बालकों को कोई और कार्यवाही द्वारा अपहानि पहुंचा सकता है।		
15.	रखरखाव, भोजन, कपड़ों, दवाईयों आदि के लिए धन प्रदान न करना।	(क) आवारापन और निराश्रयता की ओर प्रवृत्त। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
16.	रोजगार करने से रोकना, विक्षुब्ध करना या उसके लिए अनुज्ञात न करना।	(क) स्वयं की तथा अपने बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
17.	गृह से बलपूर्वक निकालना, गृह में प्रवेश करने या गृह के किसी भाग का प्रयोग करने से रोकना या उसे छोड़ने से निवारित करना।	(क) स्वयं और अपने बालकों के ठहरने के लिए कोई स्थान न होना। (ख) गृह के किसी विशेष क्षेत्र तक निर्बन्धित।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की सुरक्षा। (ख) उसको स्वयं को तथा उसके बालकों को शरण प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

	क	ख	ग	घ	ङ
18.	कपड़ों, साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुओं या चीजों का प्रयोग अनुज्ञात न करना।	(क) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का कब्जा खोना। (ख) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों को बदलने के लिए संसाधन न होना।	(क) प्रत्यर्थी द्वारा कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का निपटान किया जा सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
19.	किराए के आवास के मामले में किराए का संदाय न करना।	(क) ऐसे संदाय न करने पर स्वामी द्वारा आवास छोड़ने के लिए कहा जाना। (ख) रहने के लिए कोई वैकल्पिक आवास न होना (ग) आवास का किराया देने के लिए आय न होना।	(क) आश्रय खोना। (ख) अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
20.	सूचित किए बिना या सम्मति के बिना स्त्रीधन या कोई अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना।	(क) मूल्यवान वस्तुओं या संपत्ति को नुकसान। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) मूल्यवान वस्तु या स्त्रीधन का निपटान प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
21.	स्त्रीधन से बेकब्जा करना।	(क) उसके कब्जे में संपत्ति से उसे वंचित करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) स्त्रीधन का निपटान प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है। (ख) स्त्रीधन को पुनः कभी न प्राप्त करने का भय।		
22.	सिविल/दांडिक न्यायालय आदेश, विनिर्दिष्ट आदेश को भंग करना।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।		

हस्ताक्षर
पीड़ित व्यक्ति

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता/संरक्षण अधिकारी/
पुलिस अधिकारी

———

प्ररूप 6

[नियम 11 (1) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप

1.	आवेदक का नाम	
2.	टेलीफोन नं० ई-मेल पता यदि कोई है, सहित पता	
3.	दी जा रही सेवाएं	❑ आश्रय ❑ मनश्चिकित्सीय परामर्श ❑ कौटुम्बिक परामर्श ❑ व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ❑ चिकित्सीय सहायता ❑ चेतना कार्यक्रम ❑ ऐसे व्यक्तियों के समूह को परामर्श देना जो कि घरेलू हिंसा और कौटुम्बिक विवादों के शिकार हैं। ❑ कोई अन्य सेवा, विनिर्दिष्ट करें।
4.	ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नियोजित व्यक्तियों की संख्या :	
5.	क्या आपकी संस्था में अपेक्षित सेवाएं दी जाने के लिए कतिपय न्यूनतम कानूनी व्यावसायिक अर्हताएं आवश्यक हैं? यदि हां, तो कृपया उन्हें विनिर्दिष्ट करें और उनके ब्यौरे दें।	
6.	क्या व्यक्तियों के नामों की सूची और उनकी हैसियत जिसमें वे कार्य कर रहे हैं और उनकी व्यावसायिक अर्हताएं संलग्न हैं?	❑ हाँ ❑ नहीं
7.	वह अवधि जिसके लिए सेवाएं दी जा रही हैं	❑ 3 वर्ष ❑ 4 वर्ष ❑ 5 वर्ष ❑ 6 वर्ष ❑ 6 वर्ष से अधिक
8.	क्या किसी विधि/विनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है	❑ हाँ ❑ नहीं
	यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखें	
9.	क्या किसी विनियमित निकाय या विधि द्वारा विहित अपेक्षाएं पूरी की गई हैं?	
	यदि हाँ तो विनियमित निकाय का नाम और पता :	

टिप्पण.—आश्रय गृह की दशा में, स्तंभ 10 से 18 के अधीन ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा आश्रय गृह का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्ट किए जाएंगे।		
10.	क्या आश्रय गृह में पर्याप्त स्थान है	❑ हाँ ❑ नहीं
11.	पूर्ण परिसर का मापक क्षेत्र	
12.	कमरों की संख्या	
13.	कमरों का क्षेत्र	
14.	उपलब्ध करवाई गई सुरक्षन प्रबंधन के ब्यौरे	
15.	क्या पिछले 3 वर्ष में अंत: निवासियों के उपयोग के लिए काम करने वाला टेलीफोन कनेक्शन के अनुरक्षण का अभिलेख उपलब्ध है।	
16.	निकटतम औषधालय/क्लीनिक/चिकित्सा प्रसुविधा की दूरी	
17.	क्या किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नियमित निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था की गई है	❑ हाँ ❑ नहीं
	यदि हाँ तो चिकित्सा व्यवसायी का नाम पता : संपर्क नंबर अर्हता विशेषज्ञता	
18.	कोई अन्य उपलब्ध प्रसुविधा, विनिर्दिष्ट करें	
टिप्पण.—परामर्श केन्द्र की दशा में स्तंभ 19 से 25 के अधीन ब्यौरे, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् प्रविष्ट किए जाएंगे।		
19.	केन्द्र में परामर्शदाताओं की संख्या	

20.	परामर्शदाताओं की न्यूनतम अर्हता, विनिर्दिष्ट करें ❑ स्नातक पूर्व ❑ स्नातक ❑ स्नातकोत्तर ❑ डिप्लोमाधारक ❑ वृत्तिक उपाधि ❑ कोई अन्य अर्हता विनिर्दिष्ट करें
21.	परामर्शदाताओं का अनुभव ❑ 1 वर्ष से कम ❑ 1 वर्ष ❑ 2 दो वर्ष ❑ 3 वर्ष ❑ 3 वर्ष से अधिक
22.	परामर्शदाताओं की वृत्तिक अर्हता/अनुभव/वृत्तिक उपाधि ❑ .....(संगठन का नाम) में.....(पदनाम) के रूप में कौटुम्बिक परामर्श देने का अनुभव ❑ .....(संगठन का नाम) में.....(पदनाम) के रूप में मनोचिकित्सीय परामर्श देने का अनुभव ❑ कोई अन्य सुसंगत अनुभव, कृपया विनिर्दिष्ट करें :
23.	क्या परामर्शदाताओं के नामों की सूची उनकी अर्हताओं के साथ उपाबद्ध की गई है ❑ हाँ ❑ नहीं
24.	(क) दी गई परामर्श का प्रकार ❑ समर्थनकारी आमने-सामने परामर्श देना ❑ संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार प्रक्रिया (सी० बी० टी०) (एक प्रकार की मानसिक उपचार प्रक्रिया है जिसका व्यक्ति स्मरण, तर्क, समझने, समस्याओं का समाधान करने और विषयों को समझने के लिए प्रयोग करता है) ❑ पीड़ित व्यक्तियों के किसी समूह को परामर्श देना ❑ कौटुंबिक परामर्श (ख) उपलब्ध कराई गई प्रसुविधाएं ❑ व्यक्तिगत वृत्तिक और गोपनीय परामर्श सत्र आहूत करना ❑ समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और मनोविकारों को व्यक्त करने के लिए एक भय रहित वातावरण ❑ परामर्श सेवाओं, सहायक समूहों और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के संसाधनों पर सूचना देना ❑ आमने-सामने बैठकर परामर्श देना और समूह कार्य करना ❑ उपचार, परामर्श देना और स्वास्थ्य संबंधी सहायता ❑ कोई अन्य प्रसुविधा, कृपया विनिर्दिष्ट करें (ग) कोई अन्य सेवा (1) उपलब्ध सेवाएं

(2) नियुक्त कार्मिक

(3) ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित वैधानिक न्यूनतम कानूनी अर्हताएं

(4) सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए कार्मिकों के नामों की सूची उनके व्यवसायिक अर्हताओं के साथ संलग्न हैं।

❑ हाँ ❑ नहीं

(5) अन्य ब्यौरे, जो रजिस्ट्रीकरण का इच्छुक सेवा प्रदाता है, दें।

.....यदि आवश्यक हो तो इसे पृथक पृष्ठ पर जारी रखें।

प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर

पदनाम

(मुद्रा)

स्थान :

तारीख :

———

प्ररूप 7

[नियम 11 (1) देखें]

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना

न्यायालय.....

पुलिस थाना.....

मामले में :

सुश्री..... परिवादी

बनाम

सुश्री..... प्रत्यर्थी

प्रेषिती

श्री.....

पुत्र श्री.....

निवासी.....

.....

.....

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा.....के अधीन आवेदन फाइल किया है/किए हैं;

आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गए अनुतोष (अनुतोषों) को आपके विरुद्ध प्रदान कर दिया जाए व्यक्तिगत रूप से या इस न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत काउंसेल के मार्फत तारीख.....मास.....200.....को.....बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया जाता है, इसमें असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और.....न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....को दी गई।

न्यायालय की मुद्रा हस्ताक्षर

———